डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 03/2024-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ एएआई-कोयम्बटूर/सीपी-II/2023-28

परामर्श पत्र संख्या 03/2024-25

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर (सीजेबी) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 22 जुलाई, 2024

ऐरा कार्यालय
तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, ऐरा अधिनियम, 2008 के अनुसार एक प्रमुख हवाईअड्डा था और वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 (वित्त वर्ष 2016-17 और वित्त वर्ष 2017-18 की अवधि के साथ) की प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए इसकी टैरिफ ऐरा द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2019 के आदेश संख्या 44/2018-19 द्वारा निर्धारित की गई थी। 2019 में ऐरा अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसरण में 3.5 एमपीपीए से अधिक के निर्धारित यात्री आवागमन वाले हवाईअड्डों को प्रमुख हवाईअड्डों के रूप में माना जाता है। एएआई ने दिनांक 28 मार्च, 2023 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि एएआई ने हवाईअड्डे पर कुछ बुनियादी ढ़ांचागत विकास/ संशोधन कर यात्री प्रबंधन क्षमता बढ़ाकर 3.63 एमपीपीए कर दी है। अत: एएआई द्वारा बढ़ाई गई क्षमता को ध्यान में रखते हुए कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पूरी प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान प्रमुख हवाईअड्डा बना रहा।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2023) के सभी पांच (05) टैरिफ वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए लेखापरीक्षित कच्चे मिलान के रूप में) और द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2028) के अनुमानों को मान लिया है।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के संबंध में प्राधिकरण के विश्लेषण और टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश करके जारी किया है।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश के तहत इस प्रकार निर्धारित टैरिफ की समीक्षा और इसमें संशोधन किया जा सकता है।

अत: ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 22 जुलाई, 2024 के परामर्श पत्र संख्या 03/2024-25 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, satish.kr@aera.gov.in.प्रति secretary@aera.gov.in,

हितधारकों की परामर्श बैठक	:	06 अगस्त, 2024
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	21 अगस्त, 2024
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	31 अगस्त, 2024

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या 011-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि का ट्रूअप

4.11.1 तालिका 14 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

4.11.2 तालिका 16 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.11.3 तालिका 17 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए आरएबी को मानना।

4.11.4 तालिका 18 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए एफआरओआर को मानना।

4.11.5 प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के प्रयोजनार्थ तालिका 32 के विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

4.11.6 प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के प्रयोजनार्थ तालिका 35 में प्रस्तुत किए अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.7 तालिका 38 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

4.11.8 तालिका 41 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना तथा प्रथम नियंत्रण अवधि की कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि में समायोजित करना।

अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.3.1 कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 46 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम और यात्री यातायात को मानना।

5.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम और यात्री यातायात) को ट्रूअप करना।

अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

6.5.1 तालिका 48 के विवरण के अनुसार 01 अप्रैल, 2023 को सकल परिसंपत्ति ब्लॉक के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन को मानना।

6.5.2 तालिका 56 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

6.5.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्रू-अप करना।

6.5.4 पैरा 6.2.25 में उल्लेख किए अनुसार कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

6.5.5 तालिका 59 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानना।

6.5.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।

6.5.7 सीजेबी के लिए तालिका 61 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

6.5.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.3.1 14.00 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

7.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 7.25% की ऋण की लागत को मानना।

7.3.3 ऊपर उल्लखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत के आधार पर और तालिका 64 के अनुसार प्रामाणिक लक्षित (गियरिंग) अनुपात के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 13.71% एफआरओआर को मानना।

7.3.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय एफआरओआर को ट्रू-अप करना।

अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.3.1 कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 65 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.3.1 कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 73 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान एएआई द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को ट्रू-अप करना।

अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व (एनएआर)

10.3.1 कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 76 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय एएआई द्वारा कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्राप्त किए गए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.3.1 कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 79 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त रूप से ध्यान में रखकर वैमानिक कराधान राशि को ट्रू-अप करना।

अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.3.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी समायोजन न मानना।

अध्याय 13 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

13.3.1 तालिका 82 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

13.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के एआरआर और वाईपीपी के ट्रू-अप को मानना।

अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

14.3.1 तालिका 86 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

14.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को ट्र-अप करना।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य संबद्ध अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 21 अगस्त, 2024 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, **उड़ान भवन**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
नई दिल्ली –110003.

(अध्यक्ष)